रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1975/भाद्र 15, 1897
No. 173] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1975/BHADRA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th September 1975

SUBJECT.—*Import of Fresh Fruits, all sorts, excluding coconuts, cashewnuts and Dates [S. No. 21(a)(i)/IV] from Afghanistan from* 1-4-75 *to* 31-3-1976.

No. 91-ITC(PN)/75.—Applications for import of fresh fruits from Afghanistan and for the export of the commodities detailed in Schedule B-I and Schedule B-II, from India, (*vide* Annexure I) will be considered in accordance with the provisions made in the Public Notice, read together with Public Notice No. 82-ITC(PN)/75, dated the 7th August, 1975 from the following:—

(i) "Approved importers" under the previous Trade Arrangements, and

(ii) "Others".

2. The policy for import of dry fruits, asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs will be announced later.

3. **Definition of "Approved Importers".**—The 'Approved Importers' are those:

(i) who have participated in the Indo-Afghan Trade in those commodities during the four years ending 30th June, 1956 and are already registered as such; and

(ii) the Afghan Government's nominee firms already registered as "Approved Importers".

4. **Definition of "Others".**—"Others" (not being 'Approved Importers') are those who are resident in India, have the requisite financial capability of transacting the business as certified by a scheduled Bank in India, are dealers in items listed in Schedule 'A', B-I or B-II *vide* Annexure I to this Public Notice, and have participated in the Indo-Afghan Trade in those commodities during any of the two years ending 28th February, 1974; and

(i) are citizens of India, if they are (a) individuals or (b) kartas of Hindu undivided family in respect of family business,

Or

(ii) are an Indian Company,

Or

(iii) have the control and management of their affairs situated wholly in India if they are a firm, a limited company or an association,

Or

(iv) are a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act.

5. **Persons ineligible to participate.**—Partners/Directors/Proprietors and his/her wife/husband or dependent relations (including unmarried children) of "Approved Importer(s)" and 'Other(s)', as defined in para 4 and 5 above, will not, however, be permitted to participate in the Indo-Afghan Trade. For this purpose the applicants are required to furnish alongwith the applications, an undertaking, on a stamped paper, to the licensing authority concerned as follows:—

"I/We hereby declare that neither of the partners/directors/proprietors of the firm, company, or his/her wife/husband, dependent relations or unmarried children, have submitted or will submit an application for CCP under this Public Notice for import of fresh fruits from Afghanistan".

Signature ————————————

Status of the (i) Deponent————————

(ii) Applicant firm————————"

In addition, the following categories of persons will also not be permitted to participate:—

(i) Those who have been de-registered from the list of "Approved Importers" under the previous Trade Arrangements. (However, those "approved importers" who have remained dormant for a period of four years and have been de-registered in terms of Public Notice No. 240-ITC(PN)/68, dated 4th November, 1968, will be allowed to participate if they are otherwise eligible in terms of this Public Notice):

(ii) those who stand debarred from receiving import or export licences or release orders under the Import/Export Trade Control rules and regulations;

(iii) those whose counter-balancing obligations in respect of imports from and exports to Afghanistan during the/preceding years remain unfulfilled.

NOTE.—For those who participated in the Indo-Afghan Trade Arrangement March, 1974—February, 1975 the last date for fulfilment of counter-export obligation had been extended upto 31st August, 1975 *vide* Public Notice No. 55-ITC(PN)/75, dated the 25th June, 1975. It may be noted that no CCPs will be issued or CCPs already issued revalidated to those importers who failed to discharge, by that date their export obligation in full and in the prescribed proportion as between Schedule B-I and B-II items, in respect of imports made by them during the Indo-Afghan Trade Arrangement period March, 1974—February, 1975.

(iv) Those who have not attained the age of eighteen years (as on the date of this Public Notice).

6. **Licensing Authorities.**—The importers who have not applied or who have already applied and obtained CCPs for values less than their total entitlements for import of fresh fruits under Public Notice No. 82-ITC(PN)/75, dated 7th August, 1975, may submit their applications for CCPs under the "Import First Scheme" to the respective Licensing Authorities on or before 30th November, 1975, according to the jurisdiction shown below:—

Licensing Authority	*Jurisdiction Importers situated in*
Joint Chief Controller of Imports and Exports, New CCO Building, New Marina Lines, Churchgate, Bombay.	Maharashtra, Gujarat, New Kandla, Goa, Daman, Diu, Dadra & Nagar Haveli, Madhya, Pradesh, Andhra, Tamil Nadu, Pondicherry, Karaikal, Mahe, Yanam, Mysore, Kerala, Laccadive Minicoy and Amindive Islands.
Joint Chief Controller of Imports & Exports, Central Licensing Area, Indraprastha Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi.	Delhi, Rajasthan, U.P., Bihar, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Arunachal, Manipur, Mizoram.
Controller of Imports and Exports, Central Revenue Building, The Mall, AMRITSAR.	Punjab, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir.

NOTE.—Only the Head Office of an applicant firm will be permitted to apply on behalf of itself and all its branches, and the jurisdiction will depend upon the location of the Head Office.

7. The importers who have already obtained CCPs for import of fresh fruits under Public Notice 82-ITC(PN)/75, dated 7th August, 1975, and whose CCPs have remained fully or partially unutilised may apply for revalidation of such CCPs to the extent of unutilised portion to the Licensing Authorities concerned on or before 30th November, 1975.

8. **Documents to be furnished.**—Subject to the provisions of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedures, 1975-76, and paragraph 11 below, the importers should apply for CCPs and the revalidation of CCPs issued under Public Notice No. 82-ITC(PN)/75, dated the 7th August, 1975 in the prescribed *form* and manner indicating *inter-alia*, the c.i.f. value of goods together with Treasury Receipt showing payment of application fees and documents of past import (vide paragraph 22) relating to the best year's imports in the prescribed basic period in respect of specific goods applied for. Applications should be submitted complete in all respects alongwith the prescribed documents and the applicants should also quote their valid I.V.C. Registration/Exemption Number. Incomplete applications are liable to be rejected.

9. **Invoices to be produced to the customs authorities.**—The invoice(s) relating to imports should be produced in duplicate to the customs authorities at the time of clearance of the goods and it should indicate clearly the quantity, the rate, total f.o.b. value, freight, insurance and total c.i.f. value of the goods imported. CCP(s) should be obtained before the goods are despatched from Afghanistan. If any imports are made without a valid CCP, such imports will be treated as unauthorised imports and dealt with accordingly under the Import Trade Control/Customs rules and regulations.

10. **Counter-balancing trade.**—Trade with Afghanistan in respect of fresh fruits and Schedule 'B-I' and 'B-II' items shall be subject to a counter-balancing arrangement. The eligible participants can start the trade cycle either with import or with export, in accordance with the procedures laid down in this Public Notice.

11 **Import First Scheme.**—Those who intend to start with imports from afghanistan should apply for CCPs for the import of fresh fruits upto the value limits indicated below:—

(a) *"Approved Importers"*

to the extent of 70 per cent of the value of applicants past imports of fresh fruits from Afghanistan during the year August,, 1970—July, 1971,

OR

to the extent of 50 per cent of the value of the applicant's best year's past imports of fresh fruits from Afghanistan in any of the 5 years namely, August, 1967—July, 1968, August, 1968—July, 1969, August, 1969—July, 1970, August, 1970—July 1971 and August, 1971—July, 1972.

NOTE.—No applicant will be granted a CCP under both the categories stated above, i.e. he can apply either on the basis of 70 per cent of the past imports during August, 1970—July, 1971 or on the basis of 50 per cent of the past imports in any of the 5 years as indicated.

NOTE.—If an "approved importer" finds its more advantageous to claim a CCP in the category of "others", he can do so provided he does not claim a CCP as an "approved importer". In such an event, the applicant will be required to produce a Bank Guarantee in the prescribed proforma as also a Bank Guarantee equivalent to 50 per cent of the value of imports in order to ensure counter-balancing exports as required from applicants falling in the category of "others". Such an applicant will not be eligible to apply as an "approved importer" until after he has fully discharged his counter-balancing export obligation against the CCP obtained by him in the category of "others".

(b) *"Others*

to the extent of the value of the applicant's best year's of fresh fruits from Afghanistan in any of the two years, namely, March, 1972 to February, 1973 and March, 1973 to February, 1974, but not exceeding Rs. 25,000/- (Rupees Twenty-five thousand only) subject to the production of bank guarantee equivalent to 50 per cent of the value applied for in order to ensure counter-balancing exports In addition, they are also required to furnish the following certificates:—

(i) A certificate from a Chartered Accountant to the effect, that they had an internal turn-over of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty-five thousand only) during any one of the financial years i.e. 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in the goods, other than hides and skins, listed in Schedule A, B-I or B-II of Annexure I to this Public Notice.

(ii) A certificate from a scheduled Bank in the following proforma:—

BANK CERTIFICATE

Issue No———— Date————

This is to certify that M/s.————are banking with us. They enjoy good reputation. They have applied for the grant of a CCP/approval of E.P. of the value of Rs. ——— (Rupees————). They are dealers in———— and in our judgement they have the financial capability of transacting this business and payment of customs duties.

Signature and Stamp of the Officer
authorised by the Bank.

NOTE.—No applicant will be granted a CCP for the same item under more than one category i.e. he can apply either under (a) or under (b) above.

12 **Computation of past imports**—It may be clarified that —

(i) for computing past imports under Para 11 only such imports as were actually cleared from the Customs during the basic period for consumption in India (after payment of import duty), will be taken into account,

(ii) It will not be necessary for an approved importer" to obtain a single CCP covering his entire initial entitlement under this Public Notice He can if so, desired obtain more than one CCP for fresh fruits as long as the value of all the CCPs together does not exceed his initial entitlement, as referred to in Sub-paragraph 11(a) above

13 **Counter-exports against imports**—(1) CCPs for import of fresh fruits from Afghanistan will be granted and revalidation of CCP's issued under Public Notice No 82-ITC(PN)/75 dated the 7th August 1975 allowed to eligible applicants subject to the condition that the licensee shall export to Afghanistan the goods in Schedules B-I and B II of a value equal to the value of imports, within a period of six months from the date of import or upto 30th June, 1976 whichever is earlier It will also be condition of the CCP that not less than 50 per cent of the counterbalancing exports shall be of items listed in Schedule B-II

(2) The Export of Schedule B II items shall take place either before the export of Schedule B-I items or concurrently with the export of Schedule B-I items

(3) Importers are cautioned that the period allowed for completion of the counter-export obligation will not be extended under any circumstances The traders should, in their own interest ensure that they are in the position to discharge their counter export obligation in terms of this Public Notice, within the prescribed time-limit, and in the prescribed ratio for items in Schedule B-I and Schedule B-II before they apply and obtain a CCP In the event of their failure, for whatsoever reason to fulfil the conditions subject to which the CCPs are granted to them they will render themselves ineligible to receive any further CCP apart from any other action that may be taken under the Imports and the Exports Trade Control/Foreign Exchange Orders, rules and regulations

(4) The last date for counter balancing of imports by exports under Public Notice 82-ITC(PN)/75 dated 7th August, 1975 may also be deemed to have been extended upto 30th June, 1976

14 **Further CCPs to be issued on completion of 80 per cent of export obligation**—An importer will be eligible to apply for a fresh CCP as soon as he completes his counter-export obligation (in the required proportion) to the extent of 80 per cent of the total value of his earlier CCP/CCPs He should produce the required documents of exports as stipulated in Para 22 of the Public Notice along with an affidavit on a stamped paper to this effect In the affidavit, CCP number, date of issue and value and the exports made (value of traditional and non-traditional exports) under those CCPs should be clearly mentioned This, however, does not absolve him from counter export obligation equal to 100 per cent of the value of imports being fulfilled as indicated in Para 13 above and this counter export obligation is required to be fulfilled within a period of six months or upto 30th June 1976 whichever is earlier

15 **EP Forms to be approved by the Reserve Bank**—EP Forms covering counter exports to Afghanistan will be approved by the Reserve Bank of India if they are otherwise in order The EP Forms would be valid for a period of 30 days from the date of issue or upto the 31st May 1976 whichever is earlier

16 **Export First Scheme**—Those who have past exports to their credit and intend to start with exports to Afghanistan will be required to approach the Reserve Bank of India for approval of EP Forms The EP forms for exports of Schedule B items II will be approved by the Reserve Bank of India upto 25 per cent of the value of the applicant's best year's actual exports to Afghanistan made in any of the five years namely August '67-July '68 August

'68-July '69, August '69-July '70, August '70-July '71 and August '71-July '72 or upto the value of Rs. 25,000 (Rupees Twenty-five thousand only), whichever is higher. Such approval will be given only in cases, where the value of Schedule B-II items is not less than 50 per cent of the total value of exports to be made. No E.P. Forms would be approved by the Reserve Bank of India after 1st January, 1976. Exports under the scheme would be permitted upto 31st January, 1976. Applications for CCPs for counter-imports would be entertained by the licensing authorities upto 29th February, 1976 only.

17. **Counter-imports against exports.**—(1) E.P. Forms covering exports to Afghanistan will be approved subject to the condition that the exporter shall import fresh fruits from Afghanistan of a value equal to the value of exports, within a period of six months from the date of export or upto 31st March, 1976, whichever is earlier. The exporter will be required to execute a bank guarantee equal to 50 per cent of the value for which the E.P. Form has been approved for the fulfilment of the counter-import obligation.

(2) Exporters are cautioned that the period allowed for completion of counter-import obligation will not be extended under any circumstances. The traders should, in their own interest, ensure that they are in the position to discharge their counter-import obligation in terms of this Public Notice, within the prescribed time-limit ,before they apply and get their E.P. Form approved. In the event of their failure, for whatsoever reason, to fulfil the conditions subject to which E.P. Forms covering exports to Afghanistan were approved by the Reserve Bank of India, they will render themselves ineligible for participation in the Indo-Afghan trade apart from any other action that may be taken under the Imports and the Export Trade/Foreign Exchange, orders, rules and regulations.

18. **Further EP Forms on completion of 80 per cent import obligation.**—An exporter will be eligible to apply for approval of further E.P. forms for exports as soon as he completes his counter-import obligation in respect of earlier E.P. Forms to the extent of 80 per cent. This, however, does not absolve him from his counter-import obligation equal to 100 per cent of the value of exports, being fulfilled as indicated in para 17 above; and this counter-import obligation is required to be fulfilled within a period of six months or 31st March, 1976, whichever is earlier.

19. **Bonds with Bank Guarantees to be furnished to the licensing authorities.**—Bonds with Bank Guarantee in fulfilment of counter-import/export obligation as referred to in paragraphs 11 and 17 above shall be furnished to the licensing authorities mentioned in paragraph 7, who will watch performance and enforce the guarantee. It may be clarified that in cases where bank guarantee is required, the importer/exporter will have to furnish the same in respect of each application for the grant of CCP for import or for the approval of each E.P. forms for exports, as the case may be. In the event of the party's failure to discharge the counter-obligation within the stipulated period and to furnish documentary evidence in support thereof, the amount of bank guarantee will be liable to forfeiture, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, including disqualification from participating in the Indo-Afghan trade in future. The documentary evidence to be produced in support of fulfilment of counter-obligation will be the same as indicated in paragraph 22 below. In addition, the importers/exporters will be required to submit information monthly in respect of imports/exports and the counter-balancing obligations fulfilled by them in the enclosed proforma (Annexure II) so as to reach the licensing authorities concerned by the 7th of the succeeding month.

20. **Specimens of Bond/Bank guarantee Forms.**—The specimens of the bond/bank guarantee forms to be furnished by importers/exporters are given in Annexure III and IV respectively. It may be noted that the bond has to be countersigned by a scheduled bank, as a surety in token of their undertaking to pay the guaranteed amount to the licensing authority in the event of default on the part of the importer/exporter. The bond form must be signed by an officer duly authorised by the bank in this behalf. It may also be noted that bonds are to be furnished on a stamp paper or on a plain paper affixed with special adhesive stamps of the appropriate value, and impressed with the dating machine, by a proper officer.

21. ***Export Performance Guarantee from the E.C.G.C.**—The importers/exporters, who find difficulty in depositing the full amount of cash with their banks in order to secure the requisite 'Bank Gurantee' may approach their bankers, if they so desire, to obtain the 'export performance guarantee' on their behalf, from the E.C.G.C. (Export Credit and Guarantee Corporation of India, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Bombay-1).

22. **Documentary evidence to be produced.**—The following documents will constitute documentary evidence to be furnished in support of imports and exports.—

Imports.—Triplicate copy of the Customs of Entry and the relevant invoices attested by Customs, and, in case the transaction has been carried through banking channels, bank memos.

Exports.—Shipping Bills duly certified by the Customs and invoices duly certified by the Customs, which should indicate the value and other details of Schedule 'B-I' and 'B-II' products actually exported.

23. **Validity of CCPs.**—In terms of this Public Notice, no CCPs would be issued or revalidated by the licensing authorities after 29th February, 1976, either under the Import First Scheme or under the Export First Scheme. CCPs will be valid for three months from the date of issue, or upto 31st March, 1976, whichever is earlier.

24. **Distribution of CCPs.**—The Customs Authorities will send the 'Custom' copy of CCP to the concerned licensing authority direct indicating the actual utilisation of the quantity and the value covered by each CCP in the prescribed form on the reserve of the permit. The second copy will, as at present, be handed back to the importer to be furnished to Reserve Bank of India, duly stamped and signed.

25. **Distribution of Transit Certificates.**—The importers while presenting the CCP to the Customs Authorities concerned will produce five copies of the Transit Certificates issued by the Afghan, Government. One copy of the transit certificate will be retained by the Customs, the second copy will be forwarded to the Reserve Bank of India, and the third and fourth copies will be sent by them to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, for onward transmission to the Afghan Government and Indian Embassy in Kabul. The fifth copy is to be forwarded by the Customs Authorities to the licensing authority concerned.

26. **Imports to be made on outright purchase basis.**—Imports and Exports between India and Afghanistan will take place only on outright purchase basis.

27. **Method of valuation for counter-exports to Afghanistan.**—The following will be the method of valuation of Afghan goods for determining the value of counter-

*The 'Export Performance Guarantee' has been covered by ECGC, to help importers/exporters to secure, on easier terms, bank guarantee they have to furnish in course of their import/export business. For giving the guarantee the banks require the exporters to deposit varying amounts of cash, depending on their standing. To the extent they have to make a cash deposit, their resources are blocked. This guarantee seeks to help the importers/exporters to obtain the bank guarantee without making any cash deposit or against a reduced margin of deposit.

exports to be made from India to Afghanistan during the current Trade Arrangement period:

Afghan goods should be valued on the basis of the value as accepted or determined by the Indian Customs on scrutiny of sale invoices. However, the element of freight and insurance from Karachi to Bombay paid by the importers in Indian rupees should be excluded from the valuation. The value of counter-exports should be equal to the value of imports as determined in the manner indicated above.

28. **Manner of Payment.**—Payment for fresh fruits imported from Afghanistan and export of Schedule 'B-I' and 'B-II' goods to that country under this Public Notice will be made in accordance with the E.P. Procedures prescribed by the Reserve Bank of India. Payments for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B-I' and 'B-II' (i.e. Schedule 'C' items) shall be made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pound Sterling.

29. **Production of Landing Certificates.**—Import and export of goods from and to Afghanistan will be permitted subject to the condition that in respect of export of Schedule B-I items from India to Afghanistan, the exporter shall produce a Landing Certificate to the concerned Licensing Authority in India as well as to the Reserve Bank of India, issued by the Afghan Customs Authorities, within 30 days of *despatch* of the goods, in case they are sent by air, and within 90 days of *despatch* of the goods in case they are sent by sea/land route. Failure to produce the requisite landing certificate will render the exporter importer concerned liable to penal action under the Imports and the Exports Trade Central/Foreign Exchange rules and regulations.

30. **No diversion to third countries.**—(1) It is agreed between the two Governments that the goods imported by either country from the other would be used only for consumption in the country of import. Serious notice will be taken of cases where goods imported from or exported to Afghanistan are diverted to a third country.

(2) Exporters of Schedule 'B-I' commodities shall also have to produce certificates of clearance through Afghanistan Customs as indicated in paragraph 29. For this purpose a photostat copy or a certified copy of the document showing clearance through Afghanistan Customs shall be produced by the exporter to the Indian Customs Authorities, as indicated in paragraph 29.

31. **Trade should desist from abusing the system. Maintenance of reasonable prices.**—Trade is advised to ensure that the existing system is used in the interest of consumers/producers in India and Afghanistan and that the Trade Arrangement secures the common objectives of healthy growth and diversification of trade between the two countries. They should also ensure that reasonable prices are charged and efficiency after sales-service is maintained wherever necessary. Appropriate penal action will be taken if the trade arrangement is used to the disadvantage of producers and the healthy growth and diversification of trade between the two countries.

ANNEXURE I

SCHEDULE 'A'

Commodities for Export from Afghanistan to India

Fruits (Dry and Fresh all kinds).

Asafoctida.

Cumin Seeds.

Hides and Skins.

(Medicines, Extracts of Medicinal Herbs and Plants produced in Afghanistan). Import of these items is suspended for the time being.

Medicinal herb, (details Annexure):

English	*Farsi*
Hysep	Zoofa.
Rosa Rose Flower (dried)	Gule Golab.
Buglass (Borage)	Gule Gazzaban.
Quince (Borage)	Hod-Denna.
White and red Behmen (Urdu)	Behmare (Safid wa Serkh).
Jujube	Onnab
Ratanjet (Hindi)	Yaland.
Manna	Turanjabeen.
Doronicum	Darawenj.
Manna (taken from Atrapharis Spirosa)	Sheer-Khest.
Liquoric (Mulathi)	Shireen Bona.
Wild Carret	Shakekul.

Any other commodity that may be agreed upon between the two Governments.

SCHEDULE B-I

Commodities for export from India to Afghanistan

1. Tea (Black) other than C.T.C. and Dust.
2. Tea (Green)—including dust.
3. Coffee.
4. Cardamom (Big and Small).
5. Pepper.
6. Tobacco—raw and unmanufactured.
7. Coir and Coir Products.
8. Dyeing and Tanning Substances (Natural).
9. Myroblam and Myroblam extracts.
10. Leather Manufactures imported by private parties.
11. Jute Manufactures imported by private parties.
12. Cotton Yarn, Cotton Twist and Cotton Thread.

SCHEDULE B—II

Commodities for export from India to Afghanistan

1. *Fabrics*—Mill made and handloom, including sarees of cotton, rayon and wool; hosiery and knitted garments of cotton, rayon and wool, other manufactures of cotton, rayon and wool; Fabrics and other manufactures of silk excluding sarees fabrics, sarees, scarves and zari.

2. *Food Products*

Confectionery.
Fish-dried and salted.
Fish prawns—dried.
Preserved Mango and other vegetable products.
Provisions and oilman's stores.
Sago.
Tapioca and its products.
Cane Jaggery|cane jaggery powder (India Gur).

3. *Agricultural Products*

Hydrogenated oils, i.e. Vanaspati or vegetable ghee.
Vegetable oils and Oilseeds.

4. *Chemical Products and Soaps*

Chemicals and Chemical preparations.

5. *Pharmaceuticals*

Export of these items will remain suspended for the time being.
(Drugs, Medicines and Antiblotics).
Sera and Vaccines.
Alkaloids of opium and its derivatives.
Naphthalane.
Soap-toilet and household.
Toilet requisites and perfumery.
Paints, pigments and varnishes.

6. *Engineering goods*

Printing machinery.
Diesel engines.
Pumps driven by diesel engines and electric motors.
Sewing machines.
Bicycles and their parts.
Textile machinery such as carding machinery and Weaving Looms.
Machine tools.
Handtools and small tools, small rivercrafts.
Sugarcane crushing machinery.
Rice, Flour and oil crushing machinery.
Ball bearings.
Agricultural implements.
Automobiles parts other than those sent as spares with automobiles.
Gliders.

7. *Electrical goods*

Electrical appliances and accessories such as conduit pipes, switches, bells, holders, cut-outs etc.
Electmodes,
Electric bulbs and tubes.
Electric fans and their parts.
Electric Torch lights.
Batteries (dry and wet).
Electric motors.
Ebonity Sheets, rods and tubes.
Cables and Wires.

8. *Household and Building requirements*

Utensils including stainless steelware.
Cooking ranges, heaters, electric iron, toasters, kettles etc.
Household electrical fittings and fixtures,
Roofing tiles.
Bricks.
Linoleum.
Sanitaryware.
G.I. Pipes and fittings.
Manhole cover and plates.
Kerosene stoves.
Incandescent oil pressure lamps.
Safes, strong boxes and room fittings.

9. *Hardware*

Locks and padlocks.
Cutlery.
Bolts, nuts, screws and hinges.
Steel furniture and hospital appliances.
Scientific instruments of all types.
Weighing machines.
Surgical and medical instruments.
Steel buckets.

10. *Rubber Manufactures*

Tyres and Tubes.
Other rubber manufactures.

11. Leather Manufactures—

Imported by Government or Government Undertakings.
Artificial leather goods.

12. Handicrafts and cottage Industry Products.

Stationery and Paper.

13. *Miscallaneous*

Exposed Cinema Films imported by Government or Government Undertakings.
Commercial decorative plywood.
Glassware including tableware, glass bottles and bangles.
Artificial porcelain teeth.
Synthetic stones,
Books and printed matters.

Cigarettes.
Postage stamps.
Refined mineral oils.
Bichromates.
Sports goods.
Firebricks and fireclay.
Ropes.

14. Jute Manufactures imported by Government or Government Undertakings.

15. Any other commodities agreed upon between the two Governments

SCHEDULE 'C'

Illustrative list of products available for exports from India

1. *Machinery and Plants and parts thereof e.g.*
 (i) Mining Machinery and Equipment.
 (ii) Canning Machinery and parts thereof.
 (iii) Slaughter House Machinery.
 (iv) Cement Plants.
2. *Road Making and Construction Machinery e.g.*
 (i) Cement mixers.
 (ii) Vibraters.
 (iii) Stone crushers.
 (iv) Polishing equipment.
 (v) Road Rollers.
 (vi) Bulldozers.
3. Iron and Steel Construction Materials not mentioned under the heading 'Hardware' in Schedule 'B'.
4. Petrol Pumps.
5. Electric Generation distribution and Sub-station equipment including portable and fixed generators.
6. Water treatment, sewage and Public Health Engineering Products.
7. *Telecommunication Equipment e.g*
 Telegraph and Telegraph Apparatus and Equipment, Telephone Equipment etc.
8. Motor vehicles e.g. trucks, buses, dumpers, and jeeps including parts and ancillaries imported without motor vehicles.
9. Wood working machinery.
10. Refrigerators.
11. Tractors.
12. Compressors.
13. Lathes.
14. Graders.
15. Central Air-conditioning Equipment
16. Accounting Machines.
17. Cutting tools.
18. Ferrous and Non-ferrous casting and forgings.
19. P.V.C. Products including P.V.C. Footwear
20. Radio Receivers
21. Cranes.
22. Sugar.
23. Other items not included in Schedules 'B-I' and 'B-II' to the Trade Arrangement.

ANNEXURE II

Form of Affidavit to be Filled in by Importer/Exporter

I/We hereby solemnly declare that the following statement is true and correct to the best of my our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP / E.P. approval granted to me/us on the basis of this statement is liable to cancellation, without prejudice to any other penal action that may be taken in this behalf, if any information furnished herewith is found to be incorrect or False.

Particulars of CCP——— Signature ———. Particulars of E.P. approvals
CCP No. ——— Name in block letters ———. E.P. Form No. ———.
Date of issue ——— Date of issue———.
Description of goods ——— Name & address of the firm. ——— Description of Goods———.
Value ——— Value———.

		IMPORTS					EXPORTS						
For the month ending	Item of import	C.A.V. C.A.W. of imports made under CCPs of the Current Agreement period		Adjustments due to the transfers. Add. Rs.	Deduct Rs.	Total Rs.	Schedule B—I Items (value) Rs.	Schedule B—II Items (value) Rs.	Total (value) Rs.	Percentage of B—I Items	Percentage of B—II Items	Percentage of Excess/Shortfall (+) Items	Percentage of Excess/Shortfall (—) Items
		C.A.V.	C.A.W.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(i)	B.F. give progressive totals of previous months of each item.												
(ii)	 (give month and year and also specify the items).												

†The Items are : 1. *Fresh Fruits*
Grapse, Pomegrantes and others.
2. Dry Fruits. (I). Almonds—Soft shell, Hard Shell, without Shell
(II) Pista-with Shell, without Shell.
(III) Raisins and other dry fruits.
3. Asafoetida 4. Cumin seeds. 5. Medicinal Herbs.

ANNEXURE III

Specimen Bond Form for Importers under the Indo-Afghan Trade Arrangement.

Know all Men by these presents that we (1)———— of (hereinafter referred to as "the importers"*) which expression shall include his/their successors and assigns and (2)

of (hereinafter referred to as "the surety" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assigns are jointly and severally held and firmly bound upto the President of India hereinafter called "the Government" in the sum or Rs. ———— to be paid to the said Government or its successors and assigns for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, successors and assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents dated this date

of

"WHEREAS the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports/(hereinafter referred to as the Joint/Deputy Chief/Controller) which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief/Controller has agreed to permit the importation of fresh fruits from Afghanistan subject to the production of Bank Guarantee equivalent to *fifty per cent.* of the value of imports, as provided in the Min. of Commerce Public Notice No. 91 ITC(PN)/75 dated 6th September, 197 .

AND WHEREAS one of the terms in the aforesaid Public Notice provides that the importers will execute a bond alongwith one sufficient surety in the manner herein above written with such conditions as are hereunder.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN BOND IS SUCH that firstly, if the said importers shall within six months from the date of import ———— or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports & Exports, ———— export items as mentioned in Schedule B-I and B-II attached to the said Public Notice, to Afghanistan in such a manner that not less than *fifty per cent* of the value of exports consists of Schedule B-II items, and that export of Schedule B-II, items takes place either prior to the export of Schedule B-I items or concurrently with the export of Schedule B-I items, and that the total value of exports to be made will be equal to the customs assessed value of goods imported from Afghanistan.

Secondly, if the said importers and/or surety shall procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Joint/Deputy Chief/Controller within one month from the date of expiry of the aforesaid period evidence to prove that the said exports of the value equal to 100 per cent (Hundred per cent) of the customs assessed value of the imported goods have been exported as aforesaid and also documentary evidence such as prescribed in paragraph 22 of the Min. of Commerce Public Notice No. 91-ITC(PN)/75 dated the *6th September*, 197 . showing that the value of exports effected to Afghanistan is according to the prescribed ratio and is not less than 100 per cent of the total customs assessed valued of imports, then the above written bond will be valid and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue.

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT—

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of importation of the said imported goods.

*If the importer/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added "his heirs, executor and administrators".

If the importer/surety is a firm of partnership, it may be added "partners for the time being of the said firm and the survivors of the firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the Importer/surety is a limited company it may be added "its successors and assigns".

(b) Any forebearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the importers or any time being granted or any indulgence by the Government to the importers in connection herewith shall not discharge the surety.

(c) That this bond is entered into under the order of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not effect the liability of the importers to any other action (including refusal of further CCPs.) that may be taken under the Import Trade Control regulations.

(e) That the liability of the importers under this Guarantee shall not stand discharged, if the imports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the importer.

IN WITNESS WHEREOF THE parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by the ————————
within named importers. In the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the ————
within named surety in the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address)
for and on behalf of the President of India.

ANNEXURE IV

Specimen Bond Form for Exporters under the Indo-Afghan Trade Arrangement.

Know all Men by these presents that we (1)

of

(hereinafter called as "the Exporters"*) which expression shall include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns, and (2)
of (hereinafter called 'the surety' which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns are jointly or severally held and firmly bound upto the President of India". hereinafter called the "Government" in the sum of Rs. ———— to be paid to the said Government or its successors and assigns through Joint/Deputy Chief/

*If the exporter/surety is the sole properietor of the business after giving his name and address it may be added, "his heirs, executors and administrators".

If the exporter/surety is a firm of partnership it may be added "partners for the time being of the said firm and the survivors of firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the exporter/surety is a Limited Company it may be added "its successors and assigns".

Controller of Imports and Exports, for which payment we bind ourselves and each of us and each of heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and permitted assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these persons.....dated this.....dated of.....

WHEREAS the Reserve Bank of India. has permitted the export of Schedule B-I and B-II items against E.P. Form No. dated..... subject to the production of a bank guarantee equivalent to 50 per cent of the value of exports, thus permitted, with a proviso that the value of exports of Schedule B-II items, in each case, is not less than 50 per cent of the total value of exports, as indicated in the Ministry of Commerce Public Notice No. 108-91-*ITC (PN)/75 dated the 6th September*, 1975.

And whereas one of the terms provides that the exporters will execute a bond alongwith one sufficient surety with the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports, Government of India, which expression will include the person for the time being performing the duties of the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports in the manner herein above written with such conditions as are hereunder;

Now the condition of the above written Bond is such that firstly, if the said exporters shall within six months, or such further time as may be granted by the said Joint Deputy Chief/Controller of Imports and Exports, import permissible commodities as specified in Schedule 'A' of the Ministry of Commerce Public Notice No. 91-ITC(PN)/75, dated *6th September*, 1975 of the value equal to the value of the goods exported to Afghanistan under the Indo-Afghan Trade Agreement for 1974-75

Secondly if the said exporters and or their surety will procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Reserve Bank of India and Joint/Deputy Chief/Controller of Import and Exports within six months or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports..... evidence to prove, that the said imports of the value equal to 100 per cent of the value of exports to Afghanistan have been effected, as aforesaid, and also documentary evidence such as prescribed in Paragraph 22 of Public Notice referred to above, showing that the value of imports effected from Afghanistan is not less than hundred per cent of the value of the goods exported to Afghanistan against the E P. Form referred to before, then the above written bond will be void and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue.

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT—

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of export of the said exported goods.

(b) Any forebearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the exporters or any time being granted or any indulgence by the Government to the exporters in connection therewith shall not discharge the surety.

(c) That this bond is entered into under the orders of the Government of India for the performance of an act in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the exporters to any other action (including refusal of further export permits) that may be taken under the Export Trade Control regulation.....

(e) That the liability of the exporter under this guarantee shall not stand discharged, if the exports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the exporter.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by the
within named surety in the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the

within named surety in the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

For and on behalf of the President of India.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1975

विषय.—1–4–75 से 31–3–76 तक अफगानिस्तान से नारियल, काजू तथा खजूरों को छोड़कर सभी प्रकार के ताजे फलों [क्रम संख्या 21(ए)(1)/4] का आयात।

सं० 91–आई०टी०सी०(पी०एम०)/75.—अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए तथा भारत से (देखिए अनुबन्ध–2) अनुसूची बी–1 तथा अनुसूची बी–2 में उल्लिखित पण्यवस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित से आए हुए आवेदनपत्रों पर विचार सार्वजनिक सूचना संख्या 82–आईटीसी(पीएन)/75, दिनांक 7–8–75 के साथ पढ़ी जाने वाली इस सार्वजनिक सूचना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा :—

(1) पूर्ववर्ती व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "अनुमोदित आयातक", तथा

(2) "अन्य"

2. सूखे फलों, हींग, जीरे के बीजों तथा औषधीय बूटियों के आयात के लिए नीति को बाद में घोषित किया जाएगा।

3. **"अनुमोदित आयातकों की परिभाषा.**—"अनुमोदित" आयातक ये हैं :—

(1) 30–6–56 को अन्त होने वाले चार वर्षों के दौरान जिन्होंने उन पण्य वस्तुओं में भारत–अफगान व्यापार में हिस्सा लिया है और जो पहले से ही उस रूप में पंजीकृत हैं, और

(2) "अनुमोदित आयातकों के रूप में" पहले ही पंजीकृत अफगान सरकार की नामित फर्म है।

4. **"अन्य की परिभाषा"**—"अन्य" (जो "अनुमोदित आयातक" नहीं है) वे हैं जो भारत के निवासी हैं और भारत में अनुसूचित बैंक द्वारा प्रमाणित रूप में व्यापार निष्पादन करने के लिए आवश्यक आर्थिक क्षमता रखते हैं, और अनुसूची ए, बी–1 या बी–2 में सूची-बद्ध मदों के व्यापारी हैं देखिए इस सार्वजनिक सूचना का अनुबन्ध–1 और जिन्होंने 28–2–74 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान उन पण्यवस्तुओं में भारत अफगान व्यापार में भाग लिया है, और

(1) भारत के नागरिक हैं, यदि वे (क) व्यक्ति हैं या (ख) परिवार व्यापार के सम्बन्ध में अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता हैं,

या

(2) वे भारतीय कम्पनी हैं,

या

(3) यदि वे एक फर्म हैं, एक लि० कम्पनी है या एक संघ है और भारत में पूर्णतः स्थित अपने व्यापारों का नियंत्रण और व्यवस्था रखते हैं,

या

(4) सहयोग समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहयोग समिति है।

5. **भाग लेने के लिए अपात्र व्यक्ति.**—लेकिन, उपर्युक्त कंडिका 4 तथा 5 में यथा परिभाषित "अनुमोदित आयातक(कों)" अन्य(यों) के भागीदारों/निदेशकों/स्वामियों तथा उनकी/उनका पत्नी/पति या आश्रित रिश्तेदारों (जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल हैं) को भारत अफगान व्यापार में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सम्बन्ध में आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे नीचे दिए गए के अनुसार सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदनपत्रों के साथ स्टाम्प कागज पर एक वचनपत्र भेजें :—

"हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कम्पनी के भागीदारों/निदेशकों/स्वामियों में किसी ने, या उसकी पत्नी/उसके पति ने आश्रित सम्बन्धियों अविवाहित बच्चों ने इस सार्वजनिक सूचना के अधीन अफगानिस्तान से ताजा फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए न तो कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत किया है या न करेगा।"

हस्ताक्षर :

1. अभिसाक्षी

ओहदा :—

2. आवेदन फर्म

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणियां भी भाग लेने के लिए अनुमेय नहीं होंगी :—

(1) वे जो पिछली व्यापार व्यवस्थाओं में "अनुमोदित आयातकों" की सूची से अपंजीकृत कर दिए गए हैं। (लेकिन, वे "अनुमोदित आयातक" जो चार साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं और जो सार्वजनिक सूचना संख्या : 240–आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 4–11–68 के अनुसार अपंजीकृत किए गए हैं, यदि वे इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, तो उनको इस व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी),

(2) वे जो आयात/निर्यात लाइसेंस या/रिहाई आदेश प्राप्त करने से आयात/निर्यात व्यापार, नियंत्रण नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत वंचित कर दिए गए हैं,

(3) वे जिनके प्रारम्भिक वर्षों में अफगानिस्तान से आयातों और अफगानिस्तान के निर्यातों के सम्बन्ध में प्रति संतुलन आभार अभी भी अपूर्ण हैं।

टिप्पणी.—वे जिन्होंने भारत–अफगान व्यापार व्यवस्था मार्च 74—फरवरी, 75 में भाग लिया है, उनके लिए प्रति-निर्यात आभारों को पूरा करने के लिए अन्तिम तिथि को बढ़ा कर 31 अगस्त, 1975 कर दिया गया है देखिए सार्वजनिक सूचना संख्या : 55–आईटीसी(पीएन)/75, दिनांक 25 जून, 1975। इसे नोट कर लिया जाए कि उन आयातकों को जिन्होंने मार्च 74—फरवरी 1975 अवधि के लिए भारत–अफगान व्यापार व्यवस्था के दौरान किए गए आयातों के सम्बन्ध में अनुसूची बी–1 तथा बी–2 के बीच यथा उल्लिखित मदों के लिए अपने निर्यात आभारों को उपर्युक्त तिथि तक पूर्ण रूप में तथा निर्धारित अनुरूप में पूरा नहीं किया है, उन्हें किसी भी प्रकार का सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किया जाएगा।

(4) जिन्होंने (इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को) 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है।

6. **लाइसेंस प्राधिकारी.**—वे आयातक जिन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए आवेदन नहीं किया है या जिन्होंने पहले से ही आवेदन कर दिया है और सार्वजनिक सूचना संख्या : 82–आईटीसी (पीएन)/75 दिनांक 7 अगस्त, 1975 के अन्तर्गत ताजे फलों के आयात के लिए अपनी कुल हकदारी मे कम मूल्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर लिए हैं, वे आयात प्रथम योजना के अन्तर्गत अपने आवेदन-पत्रों को नीचे प्रदर्शित अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित लाइसेंस प्राधिकारियों को 30 नवम्बर, 1975 को या इससे पहले प्रस्तुत करें :—

लाइसेंस प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र जिसमें आयातक स्थित है
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, न्यू सी० जी० ओ० बिल्डिंग, न्यू मेरिन लाइन्स, चर्चगेट, बम्बई–1.	महाराष्ट्र, गुजरात, न्यू कांडला, गोवा, दमन, दिव, दादरा तथा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कारिकल, माहे, यनम, मैसूर, केरल, लंकादिव मिनिकाय और आमिन्दिव द्वीप।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र), इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली	दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, अन्दमन और निकोबार द्वीप, उड़ीसा, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोराम।
नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेन्ट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, दि माल, अमृतसर	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर।

नोट.—आवेदक फर्म के केवल प्रधान कार्यालय को खुद के लिए तथा अपनी शाखाओं के माध्यम सी०सी०पी० के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी और क्षेत्राधिकार प्रधान कार्यालय की अवस्थिति पर निर्भर करेगा।

7. वे आयातक जिन्होंने सार्वजनिक सूचना संख्या 82–आईटीसी(पीएन)/75, दिनांक 7 अगस्त, 1975 के अन्तर्गत ताजे फलों के लिए पहले से ही सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त कर लिए हैं और जिनके सीमाशुल्क निकासी परमिट पूर्णत: या अंशत: उपयोग कर लिए गए हैं वे ऐसे सीमाशुल्क निकासी परमिटों के अप्रयुक्त भाग के लिए पुनर्बंधीकरण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को 30 नवम्बर, 1975 या इससे पूर्व आवेदन करें।

8. **प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख.**—आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैंडबुक, 1975–76 तथा नीचे की कंडिका 11 की व्यवस्थाओं के अधीन, आयातकों को सीमा-शुल्क निकासी परमिटों के लिए और उनको सार्वजनिक सूचना संख्या 82–आईटीसी(पी,एन)/75 दिनांक 7 अगस्त, 1975 के अन्तर्गत जारी किए गए सीमा शुल्क निकासी परमिटों के पुनर्बंधीकरण के लिए निर्धारित प्रपत्र में और विहित रीति से अन्य बातों के साथ साथ माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य का संकेत कर राजकोष चालानों के साथ आवेदन किए गए विशिष्ट माल के सम्बन्ध में आवेदनपत्र विशिष्टिकृत मल अवधि में से सर्वोत्तम वर्ष के आयात के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के शुल्क के भुगतान तथा आयात के भूतकालीन प्रलेखों (देखिए कंडिका 22) को प्रदर्शित करते हुए आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण और निर्धारित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए और आवेदकों को अपने वैध आई०बी०सी० पंजीकरण/छूट संख्या को भी उद्धृत करना चाहिए। अधूरे आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. **सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने वाले बीजक.**—किए जाने वाले प्रस्तावित आयातों के सम्बन्ध में बीजक को माल की निकासी के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसमें मात्रा, दर, कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भाड़ा, बीमा तथा आयातित माल का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान से माल भेजने से पूर्व निकासी परमिट प्राप्त कर लेने चाहिए। यदि बिना किसी वैध सीमाशुल्क निकासी परमिट के किसी प्रकार के आयात किए जाते हैं तो ऐसे आयातों को अनधिकृत समझा जाएगा तथा आयात व्यापार नियंत्रण/सीमाशुल्क नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

10. **प्रति-संतुलन व्यापार.**—अफगानिस्तान के साथ ताजे फलों और अनुसूची "बी 1 तथा 2" की मदों के सम्बन्ध में व्यापार प्रति संतुलन व्यवस्था के अधीन होगा। पात्र भागीदार इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयात के साथ या निर्यात के साथ व्यापार क्रम शुरू कर सकते हैं।

11. **"आयात प्रथम" योजना.**—वे जो अफगानिस्तान से आयात के साथ आरम्भ करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे नीचे निर्दिष्ट मूल्य सीमाओं तक ताजे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करें :—

(क) **"अनुमोदित आयातक"**

अगस्त, 1970–जुलाई, 1971 वर्ष के दौरान अफगानिस्तान से आयातक के भूत में ताजे फलों के किए गए आयातों के मूल्य के 70 प्रतिशत तक के लिए

अथवा

किन्हीं 5 वर्षों अर्थात् अगस्त, 67—जुलाई, 68, अगस्त, 68–जुलाई, 69, अगस्त 69–जुलाई 70, अगस्त, 70–जुलाई, 71 तथा अगस्त, 71–जुलाई, 1972 में से किसी एक वर्ष में अफगानिस्तान से आयातक के भूतपूर्व ताजे फलों के सर्वोत्तम वर्ष के आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के लिए।

टिप्पणी.—किसी भी आयातक को उपर्युक्त उल्लिखित दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत सीमा-शुल्क निकासी परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा अर्थात् वह या तो अगस्त, 70—जुलाई, 71 के दौरान भूत में किए गए आयातों के 70 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है या उपर्युक्त संकेतिक अनुसार 5 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के भूत में किए गए आयातों के 50 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है ।

टिप्पणी.—यदि एक 'अनुमोदित आयातक' को 'अन्य' की श्रेणी में सीमाशुल्क निकासी परमिट मांगना अधिक लाभदायक दिखाई पड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है कि बशर्ते कि वह 'अनुमोदित आयातक' की हैसियत से सीमाशुल्क निकासी परमिट नही मांगता । ऐसे मामले में आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में बैंक प्रमाणपत्र और प्रति संतुलन निर्यातो को सुनिश्चित करने के लिए आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारंटी भी जैसा कि 'अन्य' की श्रेणी में आने वाले आवेदको से अपेक्षित होती है, प्रस्तुत करनी होगी । ऐसा आवेदक 'अनुमोदित आयातक' की हैसियत से तब तक आवेदन करने का पात्र नही होगा जब तक 'अन्य' की श्रेणी में उसके द्वारा प्राप्त किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट के प्रति वह अपने प्रति संतुलन निर्यात आभार को पूर्णरूपेण पूरा नहीं कर लेता ।

(ख) 'अन्य'

किसी भी दो वर्षों में अर्थात् मार्च, 1972 से फरवरी, 1973 एवं मार्च, 1973 से फरवरी 1974 में से आयातक के सर्वोत्तम वर्ष के अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयातों के मूल्य की सीमा तक किन्तु 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) से अधिक नहीं बशर्ते कि निर्यातों के प्रति-संतुलन का सुनिश्चय करने के लिए आवेदन किए गए मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना भी उनके लिए आवश्यक है:—

(1) सनदी लेखापाल से इस सम्बन्ध में एक प्रमाणपत्र कि उन्होंने वित्तीय वर्षों अर्थात् 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में से किसी एक वर्ष के दौरान इस सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध–1 की अनुसूची ए, बी–1 या बी–2 मे सूचीबद्ध चमड़े और खालों से भिन्न किसी माल का 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का व्यवसाय किया है ।

(2) अनुसूचित बैंक में निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाणपत्र ।

बैंक प्रमाण–पत्र

जारी करने की संख्या : दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री
..... का हमारे साथ बैंक व्यापार है । वे एक ख्यातिलब्ध फर्म हैं । उन्होंने(रुपये) के

लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट ई० पी० अनुमोदन जारी करने के लिए आवेदन किया है । वे के व्यापारी हैं और हमारे निर्णयानुसार उनमें इस व्यापार को चलाने और सीमाशुल्क कर का भुगतान करने की आर्थिक क्षमता है ।

बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर :

टिप्पणी.—किसी भी आवेदक को एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत सीमाशुल्क निकासी परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाएगी अर्थात् या तो वह उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत अथवा (ख) के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है ।

12. **भूतकालीन आयातों की संगणना.**—यह स्पष्ट कर दिया जाए कि :

(1) पैरा 11 के अन्तर्गत भूतकालीन आयातों की संगणना करने के लिए केवल ऐसे आयात हिसाब में लिए जाएंगे जो सीमाशुल्क विभाग द्वारा बेसिक अवधि के दौरान उपभोग के लिए (आयात कर चुकाने के बाद) निकासी कर दिए गए हों ।

(2) एक "अनुमोदित आयातक" के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इस सावजनिक सूचना के अन्तर्गत वह अपनी सारी प्रारम्भिक हकदारी के लिए एक ही सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त करे । जैसा कि उपर्युक्त उप-कंडिका 11(क) में उल्लेख किया गया है यदि वह चाहता है तो ताजे फलों के लिए एक से अधिक सीमाशुल्क निकासी परमिट तब तक प्राप्त कर सकता है जब तक सभी सीमाशुल्क निकासी परमिटों का मूल्य मिलाकर उसकी प्रारम्भिक हकदारी से अधिक नहीं हो जाता ।

13. **आयातों के बदले प्रति-निर्यात.**—(1) अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट और सार्वजनिक सूचना संख्या 92–आईटीसी (पीएन) 75 दिनांक 7 अगस्त, 1975 के अन्तर्गत जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट के पुनर्वेधीकरण पात्र आयातकों को इस शर्त के अधीन जारी किए जाएंगे कि लाइसेंसधारी आयात करने की तिथि से 6 महीने की अवधि या 30 जून, 1976 इन में जो अवधि कम हो उसके भीतर या उस तक आयातों के मूल्य के बराबर अनुसूची बी–1 और बी–2 के माल का अफगानिस्तान को निर्यात करेगा। सीमाशुल्क निकासी परमिट की यह भी शर्तें होंगी कि अनुसूची बी–2 में सूचीबद्ध मदों का निर्यात कुछ प्रति-निर्यात के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(2) अनुसूची बी–2 की मदों का निर्यात या तो अनुसूची बी–1 की मदों के निर्यात से पहले होगा या अनुसूची बी–1 की मदों के निर्यात के साथ-साथ होगा ।

(3) आयातकों को यह चेतावनी दी जाती है कि प्रति-निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए अनुमित अवधि किसी भी परिस्थिति में आगे के लिए नही बढ़ाई जाएगी । व्यापारियों को अपने निजी हित के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार वे आवेदन करने और सीमाशुल्क निकासी परिमिट प्राप्त करने से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर और अनुसूची बी–1 और बी–2 की मदों के लिए अपना प्रति-निर्यात आभार पूरा करने की स्थिति में है । जिन शर्तों के अधीन उनको सीमाशल्क निकासी परिमिट प्रदान किए गए हैं उनको पूरा करने में किसी भी कारण के लिए असफल रहने पर कोई अन्य कार्यवाई जो आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनियम आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन उनके विरुद्ध की

जा सकती है, की जाएंगी उसके अतिरिक्त वे भविष्य में कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त करने के लिए अपात्र कर दिए जाएंगे।

(4) सार्वजनिक सूचना संख्या 82–आई टी सी (पीएन)/75, दिनांक 7 अगस्त, 1975 के अन्तर्गत निर्यातों द्वारा आयातों के प्रति संतुलन के लिए अन्तिम तिथि को भी 30 जून, 1976 तक बढ़ाया गया समझा जाए ।

14. **80 प्रतिशत निर्यात आभार पूर्ण हो जाने पर और सीमा शुल्क निकासी परिमिट जारी किया जाना.**—एक आयातक अपने पहले सीमाशुल्क निकासी परमिट के कुल मूल्य के 80 प्रतिशत की सीमा तक अपना प्रति-निर्यात आभार (अपेक्षित समानुपात में) पूर्ण कर लेने के बाद नए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने का पात्र हो जाएगा । उसे चाहिए कि वे इस सम्बन्ध में इस सार्वजनिक सूचना की कंडिका 22 में यथा निर्धारित स्टाम्प कागज पर शपथपत्र के साथ निर्यातों के अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करे । शपथ पत्र में सीमा-शुल्क निकासी परमिट की संख्या, दिनांक और मूल्य तथा उन सीमाशुल्क निकासी परमिटों के अन्तर्गत किए गए (परम्परागत एवम् गैर-परम्परागत निर्यातों का मूल्य) निर्यातों का साफ साफ संकेत करें । लेकिन, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 13 में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा करने से उन्हें जो आयातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर अपना प्रति-निर्यात आभार पूरा करना है उससे मुक्त नहीं हो जाएंगे, और यह निर्यात आभार 6 महीने या 30 जून, 1976 इनमें से जो अवधि पहले हो, उसके भीतर पूर्ण कर लेना आवश्यक है ।

15. **रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ई० पी० प्रपत्र.**—अफगानिस्तान को किए गए प्रति-निर्यातों से संबंधित ई०पी० प्रपत्र, यदि वे अन्य सब प्रकार से सही होंगे तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे । ई०पी० प्रपत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए या 31 मई 1976 तक, इनमें जो भी पहले होगा, उस तक वैध होगा ।

16. **"निर्यात प्रपत्र" योजना.**—जिनके भूतकालीन निर्यात बकाया हैं और जो अफगानिस्तान को निर्यात पहले करना चाहते हैं उन्हें ई०पी० प्रपत्रों के अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से सम्पर्क करना होगा । अनुसूची बी–1 और बी–2 की मदों के निर्यातों के लिए ई० पी० प्रपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पांच वर्ष अर्थात् अगस्त 1967–जुलाई, 1968, अगस्त, 1968–जुलाई 1969, अगस्त, 1969–जुलाई, 1970, अगस्त, 1970–जुलाई, 1971, अगस्त, 1971, जुलाई 1972 में से जिस वर्ष में आवेदक ने अफगानिस्तान को सबसे अधिक वास्तविक निर्यात किए गए हैं उन निर्यातों के मूल्य के 25 प्रतिशत तक या 25,000/–रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) इसमें जो भी अधिक होगा, उस मूल्य तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे । ऐसा अनुमोदन केवल उन मामलों में दिया जाएगा जिनमें अनसूची बी–2 की मदों का मूल्य किए जाने वाले निर्यातों के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं है । भारत के रिजर्व बैंक द्वारा । जनवरी 1976 के बाद कोई भी ई०पी० प्रपत्र अनुमोदित नहीं किया जाएगा । इस योजना के अन्तर्गत निर्यातों की अनुमति 31 जनवरी, 1976 तक दी जाएगी । लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा प्रति आयातों के लिए सी०सी०पी० के लिए आवेदन पत्र केवल 29 फरवरी 1976 तक ही लिए जाएंगे ।

17. **निर्यातों के बदले प्रति-आयात.**—(1) अफगानिस्तान को निर्यातों से संबंधित ई० पी० प्रपत्र इस शर्त के अधीन अनुमोदित किए जाएंगे कि निर्यातक निर्यात की अवधि से 6 महीने या 31 मार्च 1976 इनमें जो भी पहले हो उस अवधि के भीतर निर्यातों के मूल्य के बराबर मूल्य के ताजे फल अफगानिस्तान से आयात करेगा । प्रति आयात आभार पूर्ण करने के लिए निर्यातक को एक

बैंक गारन्टी उस मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर के लिए निष्पादित करनी होगी जिसके लिए ई०पी० प्रपत्र अनुमोदित किया गया है ।

(2) निर्यातकों को यह चेतावनी दी जाती है कि प्रति-आयात आभार को पूर्ण करने के लिए अनुमति अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी । अपने निजी हित के लिए व्यापारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन करने और अपने ई० पी० प्रपत्रों को अनुमोदित कराने से पहले निर्धारित समय-सीमा के भीतर वे अपने प्रति-आयात आभार का पालन करने की स्थिति में हैं । रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जिन शर्तों के अधीन अफगानिस्तान को निर्यातों से संबंधित ई० पी० प्रपत्र अनुमोदित किए गए थे उनको पूरा करने में असफल रहने पर किसी भी कारण के लिए जो कार्यवाई आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन की जा सकती है, की जाएगी उसके अतिरिक्त उन्हें भारत-अफगान व्यापार में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा ।

18. **88 प्रतिशत आयात आभार पूर्ण करने पर और ई०पी० प्रपत्र.**—एक निर्यातक पहले ई०पी० प्रपत्रों के संबंध में 80 प्रतिशत की सीमा तक अपना प्रति-आयात आभार पूर्ण करते ही निर्यातों के लिए और ई०पी० प्रपत्रों के अनुमोदन के लिए आवेदन करने का पात्र हो जाएगा । लेकिन, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 17 में निर्दिष्ट किया गया है इससे यह अपने प्रति-आयात आभार जो निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर पूर्ण करना है उससे मुक्त नहीं हो जाएगा । यह प्रति-आयात आभार 6 महीने या 31 मार्च 1976 इनमें जो अवधि पहले हो, उसके भीतर पूर्ण करना आवश्यक है ।

19. **लाइसेंस प्राधिकारियों को बैंक गारंटियों के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए बान्ड्स.**—उपर्युक्त पैरा 11 और 17 में यथा उल्लिखित प्रति आयात/निर्यात आभार का पूर्ण करने में बैंकगारंटी के साथ बांड पैरा 7 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसके निष्पादन की जांच करेंगे और बैंक गारंटी को प्रभावी करेंगे । यह स्पष्ट कर दिया जाये कि जिन मामलों में बैंक गारंटी की आवश्यकता है उनमें आयातक/निर्यातक को आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी के लिए या निर्यातों के लिए प्रत्येक ई० पी० प्रपत्र के अनुमोदन के लिए जो भी मामला हो प्रत्येक आवेदन पत्र के संबंध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगी । निर्धारित अवधि के भीतर प्रति-आभार का पालन करने और उस के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में पार्टी की असफलता पर, भविष्य में भारत-अफगानिस्तान व्यापार में शामिल होने से बहिष्कृत करने सहित इस मामले में जो अन्य कार्यवाई की जा सकती है उस को ध्यान में रखे बिना बैंकगारंटी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी । प्रति-आभार को पूर्ण करने के समर्थन में प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य वही होगा जो निम्नलिखित पैरा 22 में निर्दिष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त आयातकों/निर्यातकों के लिए आयातों/निर्यातों के संबंध में और उनके द्वारा पूर्ण किए गए प्रति-संतुलन आभारों के संबंध में मासिक सूचना संलग्न प्रपत्र (अनुबंध 2) में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिससे कि वह आगामी महीने की 7 तारीख तक सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को पहुंच जाए ।

20. **बांड/बैंक गारंटी प्रपत्रों के नमूने.**—आयातकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बांड/बैंक गारंटी के नमूने क्रमशः अनुबंध 3 और 4 में दिए गए हैं यह नोट कर लिया जाए कि बांड पर इस जमानत के रूप में अनुसूचित बैंक को प्रतिहस्ताक्षर करने हैं कि आयातक/निर्यातक की ओर से चूक होने पर बैंक जमानत दी गई धनराशि को लाइसेंस प्राधिकारी को चुकाने का वचन लेता है । बांड प्रपत्र बैंक के उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है जो बैंक द्वारा इस कार्य के लिए

विधिवत् प्राधिकृत हो । यह भी नोट कर लिया जाए कि बांड स्टैम्प कागज या उचित मूल्य के स्टैम्पों को सादे कागज पर चिपका कर और दिनांक की मशीन द्वारा मुद्रित करके एक उचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं ।

21. **भारत के निर्यात-ऋण तथा गारंटी निगम से निर्यात निष्पादन गारंटी.**—आयातक/निर्यातक जिन्हें अपेक्षित "बैंक गारंटी" प्राप्त करने के लिए नकदी की पूरी धनराशि को अपने बैंकों में जमा करने में कठिनाई महसूस होती है यदि वे ऐसा चाहते हैं तो अपनी ओर से ई०सी०जी०सी० [भारत के निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम एक्सप्रेस टावर, (दसवीं मंजिल) नारिमन पाइन्ट, बम्बई–1] से निर्यात *निष्पादन गारंटी प्राप्त करने के लिए बैंकरों से सम्पर्क कर सकते हैं ।

22. **प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य** .—निम्नलिखित दस्तावेज आयातों और निर्यातों की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य माने जायेंगे :—

आयात .—सीमाशुल्क विभाग में प्रविष्टि के बिल की तीन प्रतियां और सीमाशुल्क विभाग द्वारा सांक्ष्यांकित बीजक, और यदि सौदा बैंक-सूत्रों के माध्यम से किया गया है तो बैंक बीमें ।

निर्यात .—सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत् प्रमाणित बिलों और सीमाशुल्क द्वारा विधिवत् प्रमाणित बीजक जिनमें अनुसूची 'बी–1' और 'बी–2' के वास्तव में निर्यात किए गए उत्पादों का मूल्य और अन्य ब्यौरे निर्दिष्ट होने चाहिएं ।

23. **सीमाशुल्क निकासी परमिटों की वैधता** .—इन सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार 29 फ़रवरी 1976 के बाद लाइसेंस प्राधिकारी, द्वारा न तो आयात प्रथम योजना या निर्यात प्रथम योजना के अन्तर्गत ही किसी प्रकार के सी० सी० पी० जारी या पुनर्वैध किए जायेंगे । इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी होने की तिथि से तीन महीनों तक के लिए या 31 मार्च, 1976 तक इन में जो भी पहले हो उस तक वैध होंगे ।

24. **सीमाशुल्क निकासी परमिटों का वितरण** .—सीमाशुल्क प्राधिकारी माल्रा के वास्तविक उपयोगी-कण को और प्रत्येक सीमाशुल्क निकासी परमिट में सम्मिलित मूल्य को परमिट की दूसरी ओर निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट करते हुए सीमाशुल्क निकासी परमिट के "सीमाशुल्क" प्रति को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे भेजेंगे । द्वितीय प्रति इसी रूप में विधिवत् मुद्रांकित और हस्ताक्षरित करके रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया को प्रस्तुत करने के लिए आयातक को लौटा दी जायेगी ।

25. **परिवहन प्रमाण पत्रों का वितरण** .—सम्बद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करते समय आयातक अफ़गान सरकार द्वारा जारी किये गये परिवहन प्रमाण पत्रों की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेंगे । परिवहन प्रमाणपत्र की एक प्रति सीमाशुल्क विभाग

आयातकों/निर्यातकों को उनके आयात/निर्यात व्यवसाय के दौरान जो बैंक गारंटियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं उनको आसान शर्तों पर प्राप्त करने में आयातकों/निर्यातकों की सहायता के लिए भारत–ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा "निर्यात निष्पादन गारंटी" उद्भूत की गई है । बैंक गारंटी देने के लिए बैंक निर्यातकों से उन की हैसियत के हिसाब से विभिन्न धनराशियां नकद में जमा कराते हैं । जिस सीमा तक निर्यातकों को नकद में धनराशि जमा करनी होती है उस धनराशि के लिए उनके साधन अवरुद्ध हो जाते हैं । यह गारंटी कोई नकदी जमा कराए बिना या कम जमा करने के आधार पर आयातकों/निर्यातकों को बैंक गारंटी प्राप्त कराने में सहायता करती है ।

द्वारा रख ली जाएगी, द्वितीय प्रति रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अग्रेसित की जाएगी, और तीसरी और चौथी प्रतियां उनके द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली को अफगान सरकार और काबुल में भारतीय दूतावास को पहुंचाने के लिए भेजी जाएंगी । पांचवीं प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को अग्रेषित की जानी है ।

26. **तत्क्षण खरीद के आधार पर आयात किया जाना है** .—भारत और अफ़गानिस्तान के बीच आयात और निर्यात केवल तत्क्षण खरीद के आधार पर होंगे ।

27. **अफगानिस्तान को प्रति-निर्यातों के लिए मूल्यांकन करने की विधि** .—वर्तमान व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान भारत से अफ़गानिस्तान को किए गए प्रति-निर्यातो के मूल्य को निश्चित करने के लिए अफ़गान माल का मूल्यांकन करने का निम्नलिखित विधि होगी :—

अफ़गान माल का मूल्याकन, क्रय बीजकों का सवीक्षण करने पर भारतीय सीमाशुल्क द्वारा यथा स्वीकृत अथवा निश्चित किए गए मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए लेकिन कराची से बम्बई तक आयातक द्वारा भारतीय रुपए में चुकाए गए भाड़ा और बीमा खर्चों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा । प्रति-निर्यातों का मूल्य उपर्युक्त संकेतित विधि से निश्चित किए गए के अनुसार आयातों के मूल्य के बराबर होना चाहिए ।

28. **भुगतान की विधि**.—अफ़गानिस्तान से आयातित ताजे फलों और अनुसूची 'बी—1' तथा 'बी—2' मदों का इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत उस देश को किए गए निर्यात का भुगतान भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित इ० पी० प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा । अनुसूची-ए 'बी—1' तथा 'बी—2' के अन्तर्गत नहीं आने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए भुगतान परिवर्तनीय यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में साख पत्र की स्थापना कर दिए जायेंगे ।

29. **अवतरण प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण** .—अफ़गानिस्तान से और अफ़गानिस्तान को माल का आयात और निर्यात की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि भारत से अफ़गानिस्तान को अनुसूची 'बी' की मदों के निर्यात के संबंध में निर्यातक अफ़गानिस्तान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अवतरण प्रमाण-पत्र को वायुमार्ग से माल भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और समुद्र/स्थल मार्ग से माल भेजने की स्थिति में माल भेजने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भारत से संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी को और साथ ही साथ भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे । आवश्यक अवतरण प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने में असफल होने पर संबंधित निर्यातक/आयातक के विपरीत आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण विदेशी मुद्रा विनियम नियमों तथा विनियमों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

30. **तीसरे देश को अपवर्तन नहीं** .—(1) दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित माल का केवल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा । यदि किसी मामले में अफ़गानिस्तान से आयातित अथवा उसको निर्यातित माल का तीसरे देश को अपवर्तन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

(2) अनुसूची 'बी—1' की पण्य वस्तुओं के निर्यातकों को भी पैरा 29 में यथा संकेतित अफ़गान सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से निकासी के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे । इस कार्य के लिए

उपर्युक्त कंडिका 29 में यथा संकेतित अफ़गान सीमाशुल्क विभाग से निकासी दर्शाते हुए एक फ़ोटो-स्टेट प्रतिलिपि या दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निर्यातक द्वारा भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी ।

31. **व्यापारियों को पद्धति का दुरुपयोग बंद करना चाहिए: संतुलित कीमतों को बनाए रखना.**—व्यापारियों को इस बात का निश्चय करने की सलाह दी जाती है कि भारत और अफ़गानिस्तान में उपभोक्ताओं/उत्पादकों के हित के लिए वर्तमान पद्धति का उपयोग किया जाता है और यह कि दोनों देशों के बीच के व्यापार से संतुलित विकास और नानाविध के सामान्य उद्देश्यों की व्यापार व्यवस्था प्राप्त करनी है । उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित मूल्य लिए जाते है तथा जहां आवश्यक है, बिक्री के बाद सेवा का निपुणता के साथ पालन किया जाता है । यदि भारतीय और अफ़गानिस्तान उत्पादों के उपभोक्ताओं और उत्पादकों के अहित में और दोनों देशो के बीच की संतोषजनक निकास तथा नाना विविधता के विरुद्ध व्यापार व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा तो यथोचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

अनुबंध 1

अनुसूची 'ए'

अफगानिस्तान से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

फल (हर किस्म के सूखे तथा ताजा फल)

हींग

जीरे के बीज

चमड़े तथा खालें

(अफगानिस्तान में उत्पादित औषधियों, औषधीय बूटियों के रस्त और पौधे)

कुछ समय के लिए इन मदों का आयात निलम्बित किया जा रहा है ।

औषधीय बूटियां (नीचे बताए गए के अनुसार)

अंग्रेजी	फारसी
हीसप	जूफा
रोजा रोज फूलावर (सूखा)	गुलेगुलाब
बग्लास (बोरिज)	गुले गाब जेबान
क्युइंस (बारिज)	हद-देना
हवाइट एंड रेड बेहमेन (उर्दू)	बेहमने (सफेद व सुर्ख)
जुजबे	ओनाव
रतन ज्योत (हिन्दी)	यालैंड
मान्ना	तुरंजबीन
डोरानकम	दारावेज
मान्ना (अल्हाफारिस स्पिनोसा से लिया गया)	शीर-ख्रैस्त
लिक्वैरिक (मुलेठी)	शिरीन बोया
बाइल्ट करैट	शक्कुल

कोई अन्य वस्तु जो दो सरकारों के बीच मान ली जाएं ।

अनुसूची 'बी'-1

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात के लिए वस्तूएं

1. सी टी सी तथा चूरा के अतिरिक्त चाय (काली)
2. चाय (ही हरी) चूरा सहित
3. काफी
4. इलायची (छोटी तथा बड़ी)
5. मिर्च
6. तम्बाकू—कच्चा तथा अनिर्मित।
7. नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादें।
8. रंगने वाले तथा शल्कन पदार्थ (प्राकृतिक)।
9. हर्रे और हर्रे सत्त।
10. निजी पार्टियों द्वारा आयातित चर्म उत्पादें।
11. निजी पार्टियों द्वारा आयातित जूट उत्पादें।
12. सूती रेशे, सूती अट्टी और सूती धागे।

अनुसूची 'बी'-2

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तूएं

1. **वस्त्र** मिल तथा हस्त निर्मित जिसमें सूती साड़ियां, रैयन तथा ऊन शामिल है, होजरी तथा बुने हुए सूती वस्त्र पहनावे, रैयन तथा ऊन, अन्य सूती उत्पादें, रैयन तथा ऊन, साड़ियों के कपड़े साड़ियां, गुलबन्दों और जरी को छोड़ कर रेशम के अन्य उत्पादें।

2. **खाद्य उत्पादें**

मिष्ठान
मछली—सूखी तथा नमकीन
फिश प्रान्स—सूखी
परिरक्षित आम तथा अन्य तरकारी उत्पादें।
आवश्यक वस्तुएं तथा तेल वाले स्टोर्स
साबूदाना
टोपीका तथा उसके उत्पाद
गन्ने का गुड़ / गन्ने के गुड़ का पाउडर (भारतीय गुड़)

3. **कृषि उत्पादें**

हाइड्रोजनीकृत तेल जैसे : वनस्पति या वनस्पति घी, वनस्पति तेल तथा तेल के बीज।

4. **रासायनिक उत्पादन तथा साबुन**

रसायन तथा रसायनिक उपक्रम —

5. **औषधीय**

दवाई / औषधियां तथा प्रतिजेविक की कुछ समय के लिए इन मदों का आयात निलम्बित रहेगा।

मैरा तथा वेक्सीन,
अफीम के एलकोलायड्स तथा उससे बने हुए नेप्थेलीन,
साबुन —शृंगार सामग्री तथा घरेलू वस्तुएं,
आवश्यक शृंगार सामग्री तथा सुगंधित पेंट्स, पिग्मेंट तथा वार्निश।

6. इंजीनियरी सामान

मुद्रण मशीनें
डीज़ल इंजन
डीज़ल इंजन, द्वारा सचालित पम्प तथा बिजली की मोटरें,
सिलाई मशीनें,
साइकिलें तथा उनके पुर्जे
वस्त्र मशीनें जैसे कार्डिंग मशीन तथा बुनाई करघा,
मशीन औज़ार
हाथ औज़ार तथा छोटे औजार, छोटे नदी जलयान
गन्ने पेलने वाली मशीनें ,
चावल, आटा तथा तेल निकालने वाली मशीनें,
बाल बियरिंग्स
कृषि संबंधी औजार
आटोमोबाइल के साथ जो पुर्जे भेजे जाने हैं उनके अतिरिक्त आटोमोबाइल पुर्जे।
ग्लाइडर्स ।

7. इलैक्ट्रिकल्स सामान

विद्युत सायित्र तथा उपस्कर जैसे कन्डयूट पाइपें, स्विचें, घंटियां,
होल्डरें, कट-आउटे आदि ।
इलैक्ट्रोडस,
बिजली के पंखे बल्ब और ट्यूबें,
बिजली के पंखे तथा उनके पुर्जे
इलैक्ट्रिक टार्च लाइटें,
बैटरियां (सूखी तथा गीली)
इलेक्ट्रिक मोटरें,
इबोनाइट शीट्स, राडें तथा ट्यूबें
केबुल तथा तारें ।

8. घरेलू तथा भवन संबंधी वस्तुएं

बर्तन जिसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कुकिंग रेंजिस, हीटर, इलैक्ट्रिक ब्रेसें, टोस्टर, केतिलियां आदि भी शामिल हैं।
घरेलू इलैक्ट्रिक फिटिंग तथा फिक्सर,
छत के खपड़े
ईंटें,
लिनोलियम
स्वास्थ्य संबंधी सामान

जी० आई० पाइप तथा फिटिंग
मेन होल ढक्कन तथा प्लेटें,
मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव
उद्दीप्त तेल दबाव लैम्प,
तिजोरियां, मजबूत बक्से तथा रूम फिटिंग

9. **हार्डवेयर**

ताले तथा बैंड लाक,
कटलरी,
बोल्टें, नटें, स्क्रू, और हिन्जेज
स्टील के सामान और अस्पताल के उपकरण
सभी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र
तोलने वाली मशीनें
शल्य चिकित्सा तथा मेडिकल यंत्र
स्टील की बाल्टियां

10 **रबड़ की बनी चीजें**

टायर और ट्यूब,
रबड़ के बने हुए अन्य सामान ।

11. चमड़े की बनी चीजें जो सरकार का सरकारी उपक्रमों द्वारा आयातित हैं।

कृत्रिम चमड़ा माल ।

12. हस्तशिल्प तथा गृह उद्योग उत्पाद, लेखन सामग्री और कागज ।

13. **विविध**

सरकार या सरकारी प्रक्रमों द्वारा आयात की गई प्रदर्शित सिनेमा फिल्में
वाणिज्यिक सजावटी प्लाइवुड ,
टेबुल सामग्री, शीशे की बोतलें और चूड़ियों सहित कांच सामग्री
कृत्रिम चीनी मिट्टी के दांत
बनावटी पत्थर
किताबें और छपी सामग्री,
सिगरेट
डाक टिकटें
परिष्कृत खनिज तेल
बाईस्कोनेट्स
खेल सामग्री
तापसह ईंटें तथा तापसह मिट्टी
रस्से ।

14. सरकार या सरकारी प्रक्रमों द्वारा आयातित जूट उत्पादें ।

15. कोई अन्य पण्य वस्तु जिस के लिए दोनों सरकारें रजामंद हों।

अनुसूची 'सी'

भारत से निर्यात के लिए प्राप्य उत्पादों की निर्देशी सूची

1. **मशीनरी तथा प्लांट और उनके पुर्जे जैसे :—**

 1. खनन मशीनरी तथा उपस्कर
 2. कैनिंग मशीनरी और उनके पुर्जे
 3. बूचड़खाना मशीनरी
 4. सीमेंट प्लान्ट्स

2. **सड़क बनाने तथा निर्माण करने के लिए मशीनरी जैसे:—**

 1. सीमेंट मिक्सर,
 2. बाइब्रेटर्स
 3. पत्थर पीसने वाली मशीनें
 4. पालिश करने वाले यंत्र
 5. रोड रोलर्स
 6. बुलडोजर्स

3. लोहा तथा इस्पात निर्माण सामग्री जो अनुसूची 'बी' में 'हार्डवेयर' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित नहीं है ।

4. पेट्रोल पम्प

5. विद्युत प्रजनक, वितरण तथा सब-स्टेशन उपस्कर,—जिनमें संचलनीय तथा असंचलनीय प्रजनक, शामिल हैं ।

6. वाटर ट्रीटमेंट, स्वेज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक उत्पादें ।

7. **दूर संचार उपस्कर जैसे:—**

 टेलीग्राफ तथा टेलीग्राफ उपकरण तथा उपस्कर, टेलीफोन उपस्कर आदि ।

8. मोटर गाड़ियां जैसे ट्रक, बस, डम्पर्स तथा जीप, मोटर गाड़ियों के साथ आयातित पुर्जे तथा उपसाधक भी शामिल हैं।

9. लकड़ी के काम की मशीन

10. अशीतक ।

11. ट्रैक्टर

12. संपीडक

13. लेथ

14. ग्रेडर्स

15. मध्यवर्ती वातानुकूलित करने वाले उपस्कर

16. लेखामशीन

17. काटने के औजार

18. फैरस तथा नान-फैरस कास्टिंग और फोर्जिंग

19. बी० बी० सी० उत्पादें, — जिनमें पी० बी० सी० जूते भी शामिल हैं।

20. रेडियो रिसीवर

21. केन

22. चीनी

23. अन्य मदें जो व्यापार समझौते के लिए अनुसूची 'बी' —1 तथा अनुसूची 'बी—2' में शामिल नहीं है ।

अनुबन्ध 2

आयातक/निर्यातक द्वारा भरे जाने वाले शपथ—1 पत्र का प्रपत्र

मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि निम्नलिखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है । मुझे/हमें पूर्ण रूपेण पता है कि यदि इस विवरण में दी गई कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाएगी तो अन्य किसी प्रतिकूल दंडात्मक कार्यवाई जो इस संबंध में की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना इस विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट/निर्यात परमिट रद्द किया जा सकता है ।

सीमाशुल्क निकासी परिमिट का ब्यौरा ।

सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या

निर्गमन का दिनांक

माल का विवरण

मूल्य

हस्ताक्षर

साफ अक्षरों में नाम

फर्म का नाम तथा पता

ई० पी० अनुमादन के विवरण

ई० पी० प्रपत्र संख्या

जारी करने का दिनांक

माल का विवरण

मूल्य

प्रायात

---को आयात समाप्त होने वाले महीने के लिए	मद	चालू करार अवधि के सीमाशुल्क निकासी परमिट के अधीन किए गए आयातों का काटन द्वारा निर्धारित भार		हस्तान्तरणों के कारण समायोजन		कुल (रुपये)
		कस्टम द्वारा निर्धारित मूल्य (रुपये)	कस्टम द्वारा निर्धारित भार (कि० ग्रा०)	जोड़े (रु०)	घटाएं (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7

निर्यात

अनुसूची —1 बी–1 मदें (मूल्य) (रुपये)	अनुसूची बी–2 मदें (मूल्य) (रुपये)	कुल (मूल्य) (रुपये)	प्रतिशतता बी–1 मदें	प्रतिशतता बी–2 मदें	बाहुल्य होने/कम पड़ने (+)	को प्रतिशतता (–)
					बी–1 मदें	बी–2 मदें
8	9	10	11	12	13	14

पिछला जोड़

(1) (प्रत्येक मद ÷ के पिछले महीनों के प्रगामी योग दीजिए)

(2) ———————— महीना और वर्ष लिखें और मदें भी विनिर्दिष्ट करें) ÷

÷ मदें ये हैं:—

1. ताजे फल:

अंगूर, अनार तथा अन्य ।

2. सूखे फल :

1. बादाम—नरम छिलके वाले, सख्त छिलके वाले, बिना छिलके वाले ।
2. पिस्ता—छिलके वाला, बिना छिलके वाला ।
3. किशमिश और अन्य सूखे फल तथा
4. अन्य मदें

3. हींग

4. जीरा बीज ।

5. औषधीय जड़ी-बूटी ।

अनुबन्ध 3

भारत अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन आयातकों के लिए बांड-प्रपत्र का नमूना

इन उपस्थित सज्जनों द्वारा सब को ज्ञात हो कि हम (1).....(जिन्हें आगे 'आयातक'* कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी शामिल होंगे) (और (2).....के.....(जिन्हें आगे 'जमानती' कहा गया है)

इस अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी और अधिन्यासी जब तक उन्हें मामले से निकाल न दिया हो अथवा वे मामले से संबंध न रखते हों, भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें आगे 'सरकार' कहा गया है कि प्रति संयुक्त रुप से या अलग-अलग.....रुपये की धनराशि सरकार या इसके अधिकारियों और अधिन्यासियों को चुकाने के लिए नियंत्रित है और निश्चित रूप से बंधे हुए हैं और इस धनराशि के लिए हम स्वयं और हमारे वारियों, प्रबन्धकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और अधिन्याबसियों (जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रुप से या अलग-अलग आज दिनांक.....को इन उपस्थित सज्जनों के सामने बंधे हुए हैं ।

जबकि संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात (जिन्हें आगे संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उस समय संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक का कार्य करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, इस शर्त के अधीन अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात की अनुमति देने को सहमत हो गए कि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या.....91-आई टी सी (पी एम)/75, दिनांक 6 सितम्बर, 1975 की व्यवस्थाओं के अनुसार आयातक, आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करें ।

*यदि आयात का जमानती व्यवसाय का पूर्ण रुपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद उसके उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए ।

यदि आयातक जमानती साझीदार फर्म है तो कुछ समय के लिए उक्त फर्म के साझीदारों और फर्म के उत्तरजीवी और उनके तत्संबंधी उत्तराधिकारी प्रबंधकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए ।

यदि आयातक जमानती लिमिटेड कम्पनी है तो इसके उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों को जोड़ा जाए ।

और जबकि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों में से एक शर्त यह निर्धारित करती है कि आयातक इसमें ऊपर उल्लिखित शर्तों के साथ इसमें ऊपर बताई गई रीति से पर्याप्त जमानत सहित एक बांड का निष्पादन करेंगे । अब ऊपर लिखे गए बांड की यह शर्त है कि प्रथम बार यदि तीन महीने के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त/उप मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात.....
.....द्वारा प्रदान किया जाए, के भीतर उक्त आयातक उक्त सार्वजनिक सूचना में संलग्न अनुसूची बी-1 और बी-2 में उल्लिखित मदों का अफगानिस्तान को निर्यात इस तरीके से करते हैं कि अनुसूची बी-2 की मदें निर्यातों के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम न हों और यह कि अनुसूची बी-2 की मदों का निर्यात या तो अनुसूची बी-1 की मदों के निर्यात से पहले या इनके निर्यात के साथ-साथ होगा । और यह कि किए जाने वाले निर्यातों का कुल मूल्य अफगानिस्तान से आयातित माल का सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर होगा ।

दूसरे, यदि उक्त आयातक और/या जमानती पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, देंगे या इसका साक्ष्य उपलब्ध करने या देने का कारण बताएंगे कि आयातित माल के सीमाशुल्क विभाग द्वारा मूल्य के 100 प्रतिशत मूल्य के बराबर जैसा कि पहले कहा गया है, निर्यात कर लिए गए हैं, और वे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 91–आई टी सी (पी एन)/75–दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के पैरा.....में यथा निर्धारित ऐसे दस्तावेज साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों का मूल्य निर्धारित अनुपात के अनुसार है और यह आयातों के सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित कुल मूल्य के 100 प्रतिशत से कम नहीं है तब लिखित बांड रद्द हो जाए तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा बांड पूर्ण शक्ति और क्षमता के साथ लागू रहेगा और इसे एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि:—

(क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त आयातित माल के आयात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगा ।

(ख) आयातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके संबंध में आयातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह हो, तो जमानती को मुक्त नहीं करेगा ।

(ग) यह कि यह बांड केन्द्रीय सरकार के आदेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है कि जिसमें जनता रुचि रखती है ।

(घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही (जिसमें भविष्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परिमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है।) से निर्यातकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ङ) यह कि आयात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएंगे तो इस गारंटी के अन्तर्गत आयातक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जायेंगे । इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क आयातक द्वारा चुकाया जाएगा ।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में वर्तमान दिन और वर्ष में जो पहले ऊपर लिखे गए हैं उन्हें विधिवत् निष्पादन किया है ।.....

.....के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगाकर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया:—

1.....

2.....

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

.....के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगाकर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया ।

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ।

अनुबंध 4

भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन निर्यातकों के लिए बांड प्रपत्र का नमूना

इन उपस्थित सज्जनों द्वारा सब को ज्ञात हो कि हम (1).....के..... (जिन्हें आगे निर्यातक* कहा गया है हम इस अभिव्यक्ति में निर्यातक/निर्यातकों के संबंधित वारिस प्रबन्धक, प्रशासक तथा कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी शामिल होंगे) और (2).....के.....(जिन्हें आगे जमानती कहा गया है । इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके संबंधित वारिस, प्रबन्धक प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी, जब तक उन्हें इस मामले से बाहर न निकाल दिया गया हो अथवा वे मामले से संबंध न रखते हों, शामिल होंगे) भारत के राष्ट्रपति जिन्हे आगे सरकार कहा गया है के प्रतिसंयुक्त रुप से या अलग-अलग नियत्रित और निश्चित रूप से बंधे हुए उक्त सकार को अथवा इसके उत्तराधिकारियों के और अधिन्यासियों को संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात के माध्यम से.....रुपये की धनराशि के भुगतान के लिए हम स्वयं और हमारे वारिसों, प्रबन्धकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों और अनुमित अधिन्यासियों (जो न लागू हां उसको काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रूप से या अलग-अलग रूप से आज दिनांक दिन.....को.....इन उपस्थित सज्जनों के सामने बंधे हुए हैं ।

*यदि निर्यातक जमानती व्यवसाय का पूर्ण रूपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए । यदि निर्यातक/जमानती साझीदार फर्म है तो कुछ समय के लिए उक्त फर्म के साझीदार और फर्म के उत्तरजीवी और उनके तत्संबंधी उत्तरधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए ।

यदि निर्यातक/जमानती लि० कम्पनी है तो इसके उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों को जोड़ा जाए ।

जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया.....ई०पी०प्रपत्र संख्या.....
.....दिनांक.....दिनांक.....के आधार पर अनुसूची बी-1 और बी-2 की मदों के निर्यात क अनुमति, इस प्रकार अनुमित निर्यातों के मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, इस शर्त के अधीन दे दी है कि प्रत्येक मामले में, अनुसूची बी-2 की मदों के निर्यातों का मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 91-आईटी सी (पी एन)/75 दिनांक 6 सितम्बर, 1975 में दर्शाया गया है ।

और जबकि शर्तों में से एक शर्त यह व्यवस्था प्रदान करती है कि निर्यातक संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात भारत सरकार के साथ पर्याप्त जमानत सहित एक बांड निष्पादित करेगा, इस अभिव्यक्ति में, आगे कही गई शर्तों के साथ इसमें ऊपर उल्लिखित रीति से संयुक्त उप मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल होगा—

अब ऊपर उल्लिखित बांड की यह शर्त है कि प्रथम बार यदि छः महीने के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्रदान किया जाये, के भीतर उक्त निर्यातक 1975-76 के लिए भारत अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन अफगानिस्तान को निर्यात किए गए मूल्य के बराबर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 91-आईटी सी (पी एन)/75 दिनांक 6 सितम्बर, 1975 की अनुसूची 'ए' में निर्दिष्टानुसार अनुमेय पण्य वस्तुओं का आयात करेंगे ।

दूसरे यदि उक्त निर्यातक और या उनके जमानती छः महीने के भीतर या उक्त संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात.....द्वारा प्रदान किए गए और समय के भीतर रिजर्व बैंक आफ इंडिया और संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात.....को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे या देंगे या इस का साक्ष्य उपलब्ध कराने या देने का कारण बताएंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर मूल्य के यथापूर्वोक्त आयात कर लिए गए हैं और वे उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा.....में यथा निर्धारित ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान से किए आयातों का मूल्य पूर्वोक्त ई०पी० प्रपत्र के आधार पर अफगानिस्तान को निर्यात किए गए माल के मूल्य से 100 प्रतिशत से कम नहीं है ऊपर लिखा गया बांड तब अमान्य और अप्रभावी होगा/अन्यथा बांड पूर्ण शक्ति और क्षमता से लागू रहेगा । और एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि:—

(क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त निर्यातित माल के निर्यात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगा ।

(ख) निर्यातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके संबंध में निर्यातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह हो, तो जमानती को मुक्त नहीं करेगा ।

(ग) यह कि बांड भारत सरकार के आदेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है जिसमें जनता रुचि रखती है ?

(घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई (जिसमें भविष्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है) निर्यातकों के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ङ) यह कि यदि निर्यात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएंगे तो इस गारंटी के अन्तर्गत निर्यातक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे । इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क निर्यातक द्वारा चुकाया जाएगा ।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में वर्तमान दिन और वर्ष में जो पहले ऊपर लिखे गए हैं उन्हें विधिवत निष्पादन किया है.....के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगाकर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया:—

1.....

2.....

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

.....के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया :—

1.....

2.....

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975